स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
[खाद्य विनियम अनुभाग]

निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011
दिनांक 28 सितम्बर, 2017

विषयः खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 में संशोधन

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 की उप-धारा (1) में प्रावधान किया गया है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त आदेश द्वारा, नामित अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो कि उप-खंड अधिकारी के पद से नीचे नहीं होगा, जो कि उस क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्रशासन का प्रभारी होगा जैसा कि विनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, नामित अधिकारी की नियुक्ति हेतु अर्हता तथा शक्तियां और कर्तव्य अध्याय 2- प्रवर्तन ढांचा और प्रक्रियाएं, उक्त अधिनियम, 2006 का धारा 91 के तहत बनाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.2 में निर्धारित किए गए हैं।उक्त नियमों को नीचे पुनः उद्धृत किया गया हैः-

"2.1.2 नामित अधिकारी"

1. अर्हता

(i) नामित अधिकारी पूर्णकालिक अधिकारी होगा जो कि उप-प्रभागीय अधिकारी अथवा उसके समकक्ष से नीचे के पद का नहीं होगा और उसके पास कम से कम एक विषय के रूप में रसायन सहित विज्ञान में स्नातक डिग्री होगी अथवा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं में से कम से कोई एक अर्हता होगी।

(ii) वह नामित अधिकारी के तौर पर अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करेगा।

(iii) (क) खाद्य निरीक्षक के तौर पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास पीएफए नियम 1955 के तहत निर्धारित योग्यता होनी चाहिए अथवा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के तौर पर वह नामित अधिकारी के तौर पर नियुक्त होने का पात्र होना चाहिए, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा पद हेतु यथा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करता हो।

(ख) इन नियमों के लागू होने के समय, नामित अधिकारी का पद समकक्ष पद के किसी अन्य अधिकारी द्वारा धारण किया जाता है जैसे कि अतिरिक्त प्रभार के आधार पर, तो ऐसा अन्य अधिकारी उस समय तक इस अतिरिक्त प्रभार को धारण रखेगा जब तक कि पूर्णकालिक नामित अधिकारी को नियुक्त नहीं कर दिया जाता अथवा 8 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो।

2. शक्तियां और कर्तव्यः

(i) नामित अधिकारी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जैसा कि एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 36(3) में उल्लेख किया गया है।

(ii) नामित अधिकारी जिले के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।

(iii) नामित अधिकारी एफएसएस अधिनियम 2006 की धारा 36(3) में निर्धारित शक्तियों के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेगा कि नमूने की लागत के अतिरिक्त धारा 40(क) के प्रावधान के अनुसार खरीदार द्वारा विश्लेषण के लिए भुगतान किए गए शुल्क का रिफंड किया जाए।

(iv) नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनावश्यक नमूनों का समयबद्ध निपटान इस तरीके से हो जैसा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जब्त की गई सामग्री के संबंध में अधिसूचित किया गया है।

(v) उपर्युक्त नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद नामित अधिकारी के पास वे सभी प्रशासनिक शक्तियां होंगी जिनमें खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में ऐसा पाया जाए कि उस मामले में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान या चोट पहुंची है तो ऐसे मामले में खाद्य व्यवसाय प्रचालक का लाइसेंस निलंबित, रद्द कर सके।

बशर्ते कि ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई करने के दौरान अधिनियम और विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए।"

2. मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गया है कि कुछ राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र ऐसे उपप्रभागीय अधिकारी स्तर के नामित अधिकारी को नियुक्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं जिनके पास रसायन विषय के साथ विज्ञान में कम से कम स्नातक डिग्री हो अथवा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जो कि तकनीकी प्रकृति का पद है, हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं में से कम से कम एक योग्यता हो। इस स्थिति के कारण, नियमित आधार पर नामित अधिकारी की नियुक्ति में कठिनाई आ रही है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों के नियम 2.1.2 के उप नियम 2 के खण्ड (ii) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि नामित अधिकारी जिले के कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। यह पाया गया है कि कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट के पास जिले से संबंधित कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं और विशेष रूप से बड़े जिलों में उत्सव, चुनाव ड्यूटी के दौरान कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट के पास उपर्युक्त नियमों के तहत अपेक्षित दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उक्त अधिनियम के प्रशासन की अवधि के दौरान एकत्रित अनुभव को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि नामित अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु उक्त नियमों के तहत रसायन के साथ विज्ञान में स्नातक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतु निर्धारित चिकित्सा योग्यताओं में से एक योग्यता होने की आवश्यकता को हटा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्ताव है कि उक्त अधिनियम के प्रभावी प्रशासन हेतु नामित अधिकारी के प्रशासन के पर्यवेक्षण से संबंधित जिम्मेदारियां अपर कलेक्टर व अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप प्रभागीय अधिकारी को सौंपी जा सकती हैं। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि उक्त प्रस्ताव, उक्त अधिनियम की धारा 36 के अनुरूप है क्योंकि उक्त धारा में नामित अधिकारी के पद हेतु किसी योग्यता का कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि नामित अधिकारी उप जिला अधिकारी के पद से नीचे के स्तर का नहीं होगा।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यह प्रस्ताव है कि संलग्न अधिसूचना के प्रारूप के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.2 को संशोधित किया जाए।

5. इस संबंध में टिप्पणियां अथवा सुझाव, यदि कोई हैं, तो उन्हें विचारार्थ 31.10.2017 तक श्री राकेश एस. नयाल, अवर सचिव (खाद्य विनियम), कमरा सं. 752-ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110108 को भेजें अथवा rakesh.nayal@nic.in पर ईमेल करें।

संलग्नक

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड(i) में प्रकाशनार्थ
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक.....2017

सा.का.नि. - खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. (1) इन नियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 (इसके पश्चात् इन्हें नियम कहा जाएगा) में नियम 2.1.2 में, उप नियम 1 में, जो कि योग्यता से संबंधित है -
   (क) खण्ड (i) में "और योग्यता होगी" शब्दों से आरंभ होने वाले तथा "इन नियमों के तहत" शब्दों पर समाप्त होने वाले हिस्से को हटा दिया जाएगा ;
   (ख) यथा संशोधित खण्ड (i) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा जाएगा, नामत: -
   "बशर्ते कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खाद्य सुरक्षा आयुक्त अतिरिक्त प्रभार आधार पर उस क्षेत्र के उप प्रभागीय अधिकारी को नामित अधिकारी के तौर पर नियुक्त करे" ;
   (ग) खण्ड (ii) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा जाएगा, नामत: -
   "बशर्ते कि उस क्षेत्र के उप प्रभागीय अधिकारी, जिन्हें खण्ड (i) के परन्तुक के तहत नामित अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता न हो"।

3. उक्त नियमों में नियम 2.1.2 में, उप नियम 2 में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड को शामिल किया जाएगा, नामत: -
   "(iiक) जहां कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, इसे व्यावहारिक और आवश्यक पाते हैं तो ऐसे कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट खण्ड (ii) के तहत आने वाली शक्तियों को उस क्षेत्र के अपर कलेक्टर अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट और उप प्रभागीय अधिकारी को सौंप सकते हैं।"

[फा.सं. पी.15025/242/2015-एफआर]

(सुधीर कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

नोट :- मुख्य नियम दिनांक 05 मई, 2011 के सा.का.नि. 362(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और आखिरी बार दिनांक 13 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सा.का.नि. 57(अ) के माध्यम से संशोधित किए गए थे।